उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,

संख्या-17/3384/92-2014-17(अधि0)/2012,

लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई: 2014

कार्यालय ज्ञाप

वेतन समिति (2008) द्वारा राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के संबंध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के लिपिकीय संवर्ग के पदों पर लागू किये जाने के संबंध में वेतन समिति (2008) के राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के पदों के संबंध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय से संबंधित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-401/दस-54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 18 मार्च, 2011 तथा संख्या-वे0आ0-2-2105/दस-54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के क्रम में राज्यपाल महोदय, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, के लिपिकीय संवर्ग में उपलब्ध विभिन्न पदों को इस शासनादेश से संलग्न तालिका के अनुसार निम्नवत पुर्नगठित किये जाने की सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) इस शासनादेश से संलग्न तालिका के स्तम्भ-2 एवं 3 में उल्लिखित वर्तमान पदनाम/ पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/पदों की संख्या तथा भर्ती की प्रक्रिया एवं अर्हता के स्थान पर दि0- 18 मार्च, 2011 से स्तम्भ-4 एवं 5 के अनुसार क्रमश: पदनाम/पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/पदों की संख्या तथा भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता निर्धारित की जाय।

(2) उक्तानुसार तालिका के स्तम्भ-4 एवं 5 में दिनांक 18 मार्च, 2011 से निर्धारित व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से स्तम्भ-6 एवं 7 के अनुसार क्रमश: पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता निर्धारित की जाय।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार पुर्नगठन के फलस्वरूप उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संबंधित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 29 जून, 2010 में किये गये प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

3- ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के लिपिकीय संवर्ग के पदों पर उपर्युक्त प्रस्तर-1 के अनुसार अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु समूह "ग" सेवा नियमावली-1987 में संशोधन की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-329/दस-2014, दिनांक 05-06-2014 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

डा0 सूर्य प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 17/3384(1)/92-2014 तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(2) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-। एवं ॥ तथा आडिट-। एवं ॥ प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(3) कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
(4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-01/02 (तीन-तीन प्रतियों में)।
(5) वित्त, (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-02
(6) विभागीय आदेश पुस्तिका ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिशिर कुमार यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय ज्ञाप संख्या-17/3384/92-2014-17(अधि0)/2012, दिनांक 31 जुलाई, 2014 का संलग्नक

मुख्यालय-संवर्ग

क्र0 सं0	वर्तमान व्यवस्था		पुर्नगठन (दिनांक 18 मार्च, 2011 से प्रभावी)के अनुसार निर्धारित व्यवस्था			पुर्नगठन(दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से प्रभावी) के अनुसार निर्धारित व्यवस्था।
	पदनाम (पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)/पद संख्या	भर्ती की प्रक्रिया एवं अर्हता	पदनाम (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)/पद संख्या	भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता	पदनाम/पद संख्या (पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)/पद संख्या	भर्ती की प्रक्रिया
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	कनिष्ठ लिपिक (वेतन बैण्ड-1 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 1900/-) (14)	उ0प्र0 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग समूह "ग" सेवा नियमावली-1987 के अनुसार	कनिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन-2000/-) (14)	(1) 80 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती। अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक**(DOEACC)** सोसायटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण-पत्र अथवा "सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण-पत्र" तथा हिन्दी अंग्रेजी में कम से कम 25/30शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (2)राज्य सरकार के समान्य आदेशों के अनुसार 15 प्रतिशत पदों को चर्तुथ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति जो हाईस्कूल हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों। 05 प्रतिशत पदों को चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति जो इण्टरमीडिएट हों तथा टंकण का ज्ञान रखते हों।	स्तम्भ-4 के अनुसार।	स्तम्भ-5 के अनुसार

http://shasanadesh.up.nic.in

2	वरिष्ठ लिपिक (वेतन बैण्ड-1 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 2400/-) (19)	तदैव	वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 2800/-) (19)	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से	स्तम्भ-4 के अनुसार।	स्तम्भ-5 के अनुसार
3	वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 2800/-) (19)	तदैव	वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-2 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 2800/-) (19)	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से। परन्तु कनिष्ठ सहायक के पद से प्रधान सहायक के पद पर सीधे प्रोन्नत नहीं की जा सकेगी। परन्तु प्रधान सहायक के पद पर पोन्नत वरिष्ठ सहायक के पदधारक की ही हो सकेगी।	प्रधान सहायक (वेतन बैण्ड-2 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4200/-) (19)	स्तम्भ-5 के अनुसार
4	प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4200/-) (06)	तदैव	प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4200/-) (06)	कनिष्ठ सहायक तथा वरिष्ठ सहायक/प्रधान सहायक के पद सम्मिलित रूप से न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नत प्रधान सहायक के पदधारक की ही हो सकेगी।	प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4600/-) (06)	स्तम्भ-5 के अनुसार
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4600/-) (01)	तदैव	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4800/-) (01)	कनिष्ठ सहायक तथा वरिष्ठ सहायक/प्रधान सहायक तथा प्रशासनिक अधिकारी के पद सम्मिलित रूप से न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नत प्रशासनिक अधिकारी के पदधारक की ही हो सकेगी।	स्तम्भ-4 के अनुसार	स्तम्भ-5 के अनुसार
(पदों की कुल संख्या- का योग-59)		(पदों की कुल संख्या- का योग-59)		(पदों की कुल संख्या- का योग-59)		

http://shasanadesh.up.nic.in

क्षेत्रीय-संवर्ग

1	2	3	4	5	6	7
1	कनिष्ठ लिपिक (वेतन बैण्ड-1 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 1900/-) (454)	उ0प्र0 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग समूह "ग" सेवा नियमावली-1987	कनिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन-2000/-) (454)	(1) 80 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती। अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक**(DOEACC)** सोसायटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण-पत्र अथवा "सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण-पत्र" तथा हिन्दी अंग्रेजी में कम से कम 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (2) राज्य सरकार के समान्य आदेशों के अनुसार 15 प्रतिशत पदों को चर्तुथ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति जो हाईस्कूल हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों। 05 प्रतिशत पदों को चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति जो इण्टरमीडिएट हों तथा टंकण का ज्ञान रखते हों।	स्तम्भ-4 के अनुसार।	स्तम्भ-5 के अनुसार
2	वरिष्ठ लिपिक (वेतन बैण्ड-1 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 2400/-)/393	तदैव	वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 2800/-)/393	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।	स्तम्भ-4 के अनुसार।	स्तम्भ-5 के अनुसार
3	वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 2800/-)(74)	तदैव	वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1 5200-20200 एवं	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, परन्तु कनिष्ठ सहायक के पदों से प्रधान सहायक के पद पर सीधे प्रोन्नत नहीं की जा सकेगी।	प्रधान सहायक (वेतन बैण्ड-2 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4200/-) (74)	स्तम्भ-5 के अनुसार

http://shasanadesh.up.nic.in

			ग्रेड वेतन 2800/-)(74)			
4	कार्यालय अधीक्षक (वेतन बैण्ड-2 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4200/-) (11)	तदैव	प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4200/-) (11)	कनिष्ठ सहायक तथा वरिष्ठ सहायक/प्रधान सहायक के पदधारक सम्मिलित रूप से न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नत प्रधान सहायक के पदधारक की ही हो सकेगी।	प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4600/-) (11)	स्तम्भ-5 के अनुसार
पदों की कुल संख्या का योग- (932)		पदों की कुल संख्या का योग- (932)		पदों की कुल संख्या का योग- (932)		

(अखिलेश अग्निहोत्री)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in